राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : श्री चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 08/2018 दायर दिनांक –04.07.2018

फैसल दिनांक –27.03.2019

1. श्रीमति कुरी उर्फ जमना पुत्री श्री धनजी भल उम्र वयस्क निवासी गोवाडी हाल पत्नि श्री हलिया भील निवासी खूटवाडा जोगपुर तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती हन्तोक उर्फ मणी पुत्री श्री धनजी भील उम्र वयस्क निवासी गोवाडी हाल पत्नि श्री दिनबंधु रोत निवासी अम्बाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर
3. श्रीमति भुरी पुत्री श्री धनजी भील उम्र वयस्क निवासी गोवाडी हाल पत्नि श्री नानीया भील निवासी कालिया डूंगरा गोवाडी तहसील सागवाडा व जिला डूंगरप

अपीलान्ट.....

बनाम

1. श्री नारायण पिता धनजी भील उम्र वयस्क निवासी गोवाडी तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सागवाडा, तहसील सागवाडा व जिला डूंगरपुर (राज0)

रेस्पोडेन्ट.....

उपस्थिति– 1. श्री दिनेशचन्द्र चोबीसा, एडवोकेट – अपीलान्ट
2. श्री लालसिंह चुण्डावत, एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट सं.1

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत

–: निर्णय :–

यह अपील अपीलार्थी की ओर से विरूद्व रेस्पोडेन्ट के इस आशय की पेश की है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत यह प्रार्थना–पत्र अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के प्रकरण संख्या 03/1987 निर्णय दिनांक 24.12.1987 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट को आ.नं. 1420 रकबा 03–10 बीधा भूमि आवंटन को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है।

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण जनज़ाति की सदस्या है तथा अपीलार्थीगण के पिता स्व0श्री धनजी कोई पुत्र संतान नहीं होने से अपीलार्थीगण ही अपने माता–पिता की सेवा करती थी तथा अपने पिता की काश्त भूमि को संभालती थी। ग्राम गोवाडी में अपीलार्थीगण की काश्त की भूमि के पडौस में ख.नं. 1420 की भूमि स्थित है जिस पर अपीलार्थीगण अपने पिता के समय से रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि करीब 60 वर्षो से भी अधिक समय से निरस्त बरोकटोक काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट श्री नारायण का भी कब्जा नहीं रहा हैं तथा यह भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि से काफी दूर हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलार्थीगण की जानकारी के बगैर खसरा संख्या 1420 की रकबा 03–10 बीघा भूमि का आवंटन

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा से जरिये मिसल संख्या 3 दिनांक 24.12.1987 को करवा लिया हैं जबकि इस भूमि पर अभी अपीलार्थीगण का कब्जा बना हुआ है तथा अपीलार्थीगण ने इसमें मेहनत, मजदूरी कर आर्थिक व्यय कर काश्त किये जाने के योग्य बनाया है ओर इस पर निरन्तर काश्त करते हुए उपभोग व उपयोग कर रहे हैं। रेस्पोडेन्टसंख्या 1 को आवंटन दिनांक 24.12.1987 के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्व.श्री धनजी का पुत्र नहीं था किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने आपको स्व0श्री धनजी का पुत्र बता स्व.श्री धनजी का पुत्र बता स्व0श्री धनजी की काश्त के पास की भूमि ख.नं. 1420 पर अपना कब्जा होने का तथ्य अंकित करा नियम विरूद्ध आवंटन करवा लिया हैं, जो निरस्त योग्य हैं।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 के माह अप्रेल 2018 के दूसरे सप्ताह में अपीलार्थीगण के कब्जा काश्त की उक्त भूमि में काश्त करते आने पर प्रार्थीगण को प्रथमबार रेस्पोडेन्टसं. 1 के आवंटन की जानकारी हुई। अपीलार्थीगणने राजस्व रेकार्ड से जानकारी प्राप्त की जिस पर अपीलार्थीगणको केवल नामान्तरकरण 588 की प्रतिलिपी प्राप्त हुई जिसके आधार पर रेस्पोडेन्टसं.1 के आवंटन की जानकारी प्राप्त हुई हैं। जानकारी पर प्रार्थना–पत्र आवंटन निरस्ती हेतु पेश किया गया हैं। जानकारी से अवधि में शुमार हेतु पृथक से प्रार्थना–पत्र धारा'5 अवधि अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया हैं।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस रेस्पोडेन्टको तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से अभिभाषक नियुक्त करते हुए लिखित जवाब प्रार्थना–पत्र मय धारा–5 क प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट सं.1 ने अपीलार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब में अंकित किया कि वर्णित आराजी भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं हैं। अपीलार्थीगण अर्सा 40–45 वर्षो से शादीयां होकर वह अपने ससुराल में रहती है। विवादित आराजी सं. 1420 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा पर रेस्पोडेन्ट सं.1 का आवंटन से पूर्व से कब्जा होकर आवंटन के बाद से निरन्तर आज तक काश्त कब्जा हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 ने भूमि पर मेहनज, मजदूरी तथा रूपया खर्च कर मेड़बन्दी करा भूमि को उपजाउ बनाया जाकर काश्त की जा रही हैं। रेस्पोडेन्टसं. 1 के पिता का नाम भी धनजी हैं तथा आवंटित भूमि पास ही रेस्पोडेन्टसं.1 की भी खातेदारी भूमि स्थित हैं। अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन निरस्त कराने के अधिकारी नहीं हैं जिससे अपीलार्थीगणका प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जावें। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को आदेश दिनांक 27.02.2019 द्वारा न्यायहित में अवधि में शुमार किया गया।

उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस समायत की गई। अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा गोवाड़ी की बिलानाम आराजी संख्या 1420 अपीलार्थीगण के पिता स्व0श्री धनजी की खातेदारी भूमि के पास स्थित होने से इस भूमि

Scanned by CamScanner

पर भी काश्त काबिज रहे थे। अपीलार्थीगण के पिता के साथ ही अपीलार्थीगण भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहा हैं। अपीलार्थीगण के पिता के पुत्र संतान नहीं होने से अपीलार्थीगण ही इस पर काश्त करती रही है तथा शादी के पश्चात् भी इस पर काबिज काश्त हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 ने अपीलार्थीगण के पिता स्व0 धनजी के नाम का उपयोग करते हुए अपीलार्थीगण की जानकारी के बगैर उक्त भूमि का आवंटन जरिये मिसल नंबर 3 दिनांक 24.12.1987 के करवाते हुए राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करवा लिया हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 कभी भी मौके पर नहीं आया था किन्तु रेकार्ड में नाम दर्ज हाने से माह अप्रेल 2018 के दूसरे सप्ताह में मौके पर कब्जा करने आया तब अपीलार्थीगण को आवंटन क जानकारी हुई। अपीलार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड से जानकारी लेकर नकले प्राप्त कर आवंटन निरस्त कराने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं। अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का आगे यह भी कथन है कि श्री धनजी के नाम के आधार पर वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए आवंटन करवा लिया हैं तथा मौके पर रेस्पोडेन्ट सं.1 का कभी भी काश्त कब्जा नहीं रहा हैं, जिससे प्रार्थना–पत्र अपीलार्थीगण स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्टसं.1 के नाम किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

रेस्पोडेन्ट सं.1 के विद्वान अभिभाषक ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं.1 के पिता का नाम भी धनजी ही हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 के नाम आवंटित आराजी सं. 1420 के पास ही रेस्पोडेन्ट सं.1 की खातेदारी भूमि भी हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 की खातेदारी भूमि के पास ही बिलानाम आराजी सं. 1420 की भूमि स्थित होने से रेस्पोडेन्टसं.1 का इस पर पुराना कब्जा था जिसके आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट सं.1 द्वारा आवेदन करने पर बाद जांच आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रकबा 03–10 बीघा का विधिवत आवंटन जरिये मीसल नंबर 03/1987 दिनांक 24.12.1987 को सुपूर्द किया जाकर इसका रेकार्ड में अमलदरामद किया गया हैं। आवंटन हुए करीब 32 वर्षो की अवधि हो चुकी हैं तथा आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। आवंटी आवंटन से लेकर आज तक आवंटित भूमि पर काश्त काबिज हैं तथा भूमि में काफी मेहनत–मजदूरी कर इसके काश्त योग्य बनाया हैं। आवंटित भूमि में रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा धान, सोयाबीन, मक्का, उड़द आदि की फसल की जा रही है। आराजी भूमि मे रेस्पोडेन्ट सं.1 ने पुरानी पाल टूट जाने से मार्च–अप्रेल 2018 में पुनः नई पाली (मेडबन्दी) डाली हैं तथा इस पर काश्त काबिज हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 के विद्वान अभिभाषक का आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण सभी की शादीयां करीब 40–45 वर्षो पूर्व से होकर वह अपने–अपने ससुरोलों में काबिज है। अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि पर अपने कब्जे के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं। अपीलान्ट की तरफ से भूमि आवंटन हेतु कभी कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। रेस्पोडेन्टसं.1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना करने पर ही उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हैं व न हीं इसके पूर्व अपीलार्थीगण

Scanned by CamScanner

अथवा उसके पिता ने भी कभी कोई आपत्ती की हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि उन्नत बनाने से अब अपीलार्थीगण के मन में लोभ उत्पन्न हुआ हैं जिससे झूठे आधारों पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं जो खारिज किया जावें। रेस्पोडेन्ट सं.1 के योग्य अभिभाषक द्वारा न्यायिक नजीरे 2018(2)DNJ(Raj) पृष्ठ सं. 726 एवं 2018(1)RRT पृष्ठ सं. 299 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ठ कराया गया। रेस्पोडेन्ट सं.2 की ओर से पैरोकार सरकार बतौर औपचारिक पक्षकार उपस्थित रहे।

उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तकरण की नकलों के अवलोकन से जरिये मीसल नंबर 03/87 दिनांक 24.12.1987 को ग्राम गोवाड़ी के ख.नं. 1420 में रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा रेस्पोडेन्टसं. 1 श्री नारायण पिता धनजी भील को आवंटित होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त होना प्रमाणित हैं। अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया हैं कि अप्रार्थी सं. 1 को आवंटित भूमि पर उनका आवंटन के पूर्व से कब्जा हो अथवा वर्तमान में भी काश्त कब्जा हो। अपीलार्थीगण यह भी प्रमाण्ति करने में असफल रही है कि रेस्पोडेन्ट सं.1 ने प्रार्थीगणों के पिता स्व.श्री धनजी के नाम का उपयोग कर जरिये फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन के आवंटन करवा लिया है। रेस्पोडेन्ट सं.1 श्री नारायण के पिता का नाम भी धनजी होकर यह धनजी पृथक व्यक्ति होना निर्विवाद हैं। प्रार्थीगण की तरफ से प्रश्नगत आराजी पर अपने कब्जे काश्त बाबत् कोई दस्तावेजा प्रस्तुत नहीं किया हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 श्री नारायण को वर्ष 1987 में आवंटन हुआ हैं तथा उसे खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चके है। मेरे द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2018(2)DNJ(Raj) पृष्ठ सं. 726 एवं 2018(1)RRT पृष्ठ सं. 299 का ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक नजीरों में अभिनिर्धारित किया है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त करना न्यायोचित नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 को आवंटन के करीब 32 वर्षो की अवधि व्यतीत हो चुकी हैं एवं आवंटन के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके हैं तब ऐसे आवंटन को निरस्त करना न्यायोचित नहीं होगा।

अतः ग्राम गोवाडी तहसील सागवाडा के ख.नं. 1420 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन को निरस्त करने बाबत् प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारीज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की गई।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner